



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

अधिष्ठान एवं पेंशन अनुभाग (वित्त)

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 9410394082 email:- sao@ptcul.org

पत्रांक: /म०प्र०(वि०)/पिटकुल/लेखास्कन्ध/

दिनांक: ०७ / 12 / 2021

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, पिटकुल।

विषय:-ई०पी०एफ० मे यू०एन०(U.A.N) से ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) लिंक करवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक महाप्रबन्धक(वित्त) के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आपको अवगत कराना है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून ने अपने ई०पी०एफ०ओ० पोर्टल में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 01 नवम्बर 2021 को बैबसाइट पर जारी की गयी सूचना (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) से सम्बन्धित नियम जारी किये गये हैं, जिससे माध्यम से प्रत्येक कार्मिक को कर्मचारी भविष्य निधि से अच्छादित UAN से ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) को लिंक कराना अनिवार्य है, वर्तमान में पिटकुल में कार्यरत लगभग 734 कार्मिक, कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हैं, जिसके तत्क्रम में सभी कार्मिकों को अपना ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) को लिंक कराना अनिवार्य है,

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके कार्यालय के अधिनस्थ ई०पी०एफ० कर्मचारी को अतिशीघ्र UAN से ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) को लिंक करवाने हेतु निर्देशित करने साथ साथ इस कार्यालय को भी अद्यतन स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

(गिरधारी लाल)
वरिष्ठ लेखाधिकारी
पेंशन एवं अधिष्ठान,पिटकुल

पत्रांक: 926 /अधि०एवं पें०(वि०)/पिटकुल/लेखास्कन्ध
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

दिनांक

1. निदेशक (मा०सं०/परिचालन/परियोजना/वित्त) पिटकुल, विद्युत भवन, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, पिटकुल, विद्युत भवन, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक (वित्त) पिटकुल, विद्युत भवन, देहरादून।

✓ 4. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०) पिटकुल, देहरादून को पिटकुल की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(गिरधारी लाल)
वरिष्ठ लेखाधिकारी
पेंशन एवं अधिष्ठान,पिटकुल



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, उत्तराखंड



प्रिय कर्मचारी, क्या आपने अभी तक EPFO Portal में अपना ई-नॉमिनेशन दर्ज नहीं किया है?



ई-नॉमिनेशन के बिना:

- विभिन्न तरह के कागज़ इकट्ठे करने का झंझट
- कागज़ खोने या क्षतिग्रस्त होने का डर
- नामांकन बदलने के लिए भी कार्यालय में उपस्थित होना
- आश्रितों के बीच में धनराशि और पेन्शन का विवाद होने की सम्भावनाएँ
- मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आश्रितों - पत्नी, बच्चों एवं बूढ़े माता पिता के लिए परेशानी एवं इंतज़ार



ई-नॉमिनेशन के साथ:

- कोविड महामारी के दौर में कार्यालय की लम्बी कतार से छुटकारा
- अनेकों दस्तावेज़ इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं
- परिवार के मनचाहे सदस्यों को करें नामित और मनचाहा हिस्सा आवंटित करें
- कभी भी बदल सकते हैं ई-नॉमिनेशन
- मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में परिवार को घर बैठे मासिक पेन्शन एवं 7 लाख तक का निःशुल्क बीमा लाभ

आज ही ई०पी०एफ०ओ० की वेब साइट www.unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाएँ और अपना ई-नामांकन दर्ज करें।।

सहायता हेतु टेलिफोन नम्बर 0135-2620106 या ईमेल आईडी ro.dehradun@epfindia.gov.in पर सम्पर्क करें।

SAO

Re. inform

all concerned for E-nomination

06-12-21